दूरभाष : 011-23238542, 23236740
Telephone : 011-23238542, 23236740
फैक्स : 0091-011-23231252
Fax : 0091-011-23231252
E-mail ई-मेल: secretary@dciindia.org
Website : www.dciindia.org.in

DENTAL COUNCIL OF INDIA

ऐवान-ए-गालिब मार्ग
कोटला रोड, नई दिल्ली - 110 002
Aiwan-E-Galib Marg,
Kotla Road, New Delhi - 110 002

WEBSITE
SPEED POST

भारतीय दन्त परिषद
DENTAL COUNCIL OF INDIA
(CONSTITUTED UNDER THE DENTISTS ACT, 1948)

No. DE-167-2018/328 Dated the 10 April, 2018

To,

The Principals/Heads
of all the Dental Colleges in the country.

Sub: MEASURES FOR CURBING THE MENACE OF RAGGING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS – IMPLEMENTATION OF DIRECTIONS OF HON'BLE SUPREME COURT OF INDIA - information as per section 12.2 of DCI Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Dental Colleges, 2009 **to be furnished by 30.04.2018** – Regarding.

Sir/Madam,

I am directed to say that as per DCI Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Dental Colleges, 2009, it is the responsibility of all the institution to ensure that no incident of ragging takes place in their dental institution and measures taken to curb it may be reviewed.

2. As per section 11.3 of the aforesaid regulations, the authorities/Management (Trust, Societies, etc.) of the institution, particularly the Head of the institution, shall be responsible to ensure that no incident of ragging takes place in the institution. In case any incident of ragging takes place, the Management/Head shall take prompt and appropriate action against the person(s) whose dereliction of duty lead to the incident. The authority designated to appoint the Head shall, in its turn, take prompt and appropriate action against the head.

3. It is also to inform you that if an institution fails to curb ragging, the Dental Council of India, as per section 11.4 of Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Dental Colleges, 2009, shall impose any one or any combination of the following penalties on it:

11.4.1 To initiate the derecognition process against the institution under section 16A of the Dentists Act, 1948.
11.4.2 To reduce the admission capacity of the institution to the extent to which the Council deem fit.
11.4.3 To stop further admission in the institution till further orders.
11.4.4 To stop renewal of permission in respect of UG/PG Dental Courses.
11.4.6 To post the information regarding penalties so imposed on the concerned institution on the website of DCI for information of all concerned.

4. Besides above, it is also mentioned that, as per **section 12.2** of subject regulations, each and every institution shall submit its reports in prescribed format (Annexure-II) to the Secretary, Dental Council of India, Aiwan-E-Galib Marg, Kotla Road, New Delhi-110002, **by 30th April** of every year **in respect of the previous academic session**, indicating the requisite information against each column thereof, failing which action mentioned in Regulation 11.4 would be initiated against defaulting institution.

5. All dental institutions should issue advertisements against ragging through signboards, pamphlets etc. before the commencement of academic year as well as during the midst of the session. You are also requested to issue booklets to all the students of your Institutions containing the details about what constitutes ragging, punishable ingredients of ragging, punishments and penalty for ragging, names and mobile numbers of the members of the Anti Ragging Squad, Anti Ragging Committee (Anti Ragging Helpline), Wardens, Deputy Wardens of Men's and Women's hostel.

6. All dental Institutions shall designate any of their faculty member(s) as "Counsellor" for fresher and senior students to co-ordinate the batches of students (Counselees) regularly about day-to-day problems and also to sensitize their role in curbing the menace of ragging.

Cont..2/-

7. You are further requested to obtain and file undertaking, on anti ragging, from all parents/guardians and students (1st year to final year) studying in BDS/MDS/PG Diploma/Para Dental Courses or any other course approved/recognised by DCI, online through www.antiragging.in / www.amanmovement.org.

8. In view of the above, I am directed to request you that the requisite information in the prescribed format (Annexure-II-, already available with your institution) for the previous academic session 2017-2018 may kindly be sent to us **by 30.04.2018**, positively, as the said information is required to be sent to the Monitoring Committee appointed by the Hon'ble Supreme Court of India. In case the information is not received by **30.04.2018**, the name of defaulting institution will be forwarded to the said Monitoring Committee for such appropriate action as may be deemed fit and proper by the said Hon'ble Monitoring Committee.

8. This may kindly be treated as 'Most Urgent'.

9. The Dental Council of India ensures Zero Tolerance against ragging of any sort.

Yours faithfully,

(Dr. Sabyasachi Saha)
Secretary
Dental Council of India

Copy for information:-

1. The Secretary to the Govt. of India, Ministry of Health & Family Welfare, (Deptt. of Health – DE Section), Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi – 110 011.
2. Sh. Rajendra Prasad Tewari, Under Secretary, Government of India, Ministry of Human Resource and Development, (Department of Higher Education) 515B, Shastri Bhawan New Delhi 110 001.
3. Dr. Pankaj Mittal, Additional Secretary, UGC, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi – 110 002.
4. Dr. Archna Thakur, Joint Secretary, UGC, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi – 110 002.
5. Prof. S. K. Katharia, Prof. & Head, Deptt. of Dental Surgery, S. N. Medical College, Agra (UP).
6. The President, Dental Council of India, New Delhi

Sd -

(Dr. Sabyasachi Saha)
Secretary
Dental Council of India

दूरभाष : 011-23238542, 23236740
Telephone : 011-23238542, 23236740
फैक्स : 0091-011-23231252
Fax : 0091-011-23231252
E-mail ई-मेल: secretary@dciindia.org
Website : www.dciindia.org.in

ऐवान-ए-गालिब मार्ग
कोटला रोड, नई दिल्ली - 110 002
Aiwan-E-Galib Marg,
Kotla Road, New Delhi - 110 002

WEBSITE
SPEED POST

DENTAL COUNCIL OF INDIA

भारतीय दन्त परिषद
DENTAL COUNCIL OF INDIA
(CONSTITUTED UNDER THE DENTISTS ACT, 1948)

सं० डी.ई.(एंटी रैगिंग सेल)-167-2018/ 6 दिनांक 10 अप्रैल, 2018

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी, देश के सभी दंत महाविद्यालय

विषयः **भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन एवम दंत कॉलेजों में रैगिंग की बुराई पर रोक लगाने वाले डीसीआई विनियम, 2009 की धारा 12.2 के अनुसार शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग की बुराई पर रोकथाम लगाने के लिए सूचनाएं <u>30.04.2018</u> तक प्रस्तुत करने के संबंध में।**

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश दिया गया है कि डीसीआई के विनियमन के मुताबिक, दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में रैगिंग की बुराई पर रोक लगाने के लिए डीसीआई विनियम, 2009 के अनुसार सभी दन्त संस्थानों की यह जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके दंत संस्थान में रैगिंग की कोई घटना घटित न हो और इसे रोकने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा की जाए।

2. उपर्युक्त विनियमन की धारा 11.3 के अनुसार, संस्थान के प्राधिकारी / प्रबंधन (ट्रस्ट, सोसाइटी आदि), विशेष रूप से संस्थान का अध्यक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि संस्थान में रैगिंग की कोई घटना घटित न हो। यदि रैगिंग की कोई घटना घटती है तो वह प्रबंधक / अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति / व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल और उपयुक्त कार्रवाई करेगा जिनके कर्तव्य की अवहेलना से यह घटना घटित हुई। तदनुसार अध्यक्ष को नियुक्त करने वाले प्राधिकारी, अध्यक्ष के विरुद्ध तत्काल एवम उपयुक्त कार्रवाई करेंगे।

3. आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि कोई संस्थान रैगिंग को रोकने में विफल रहता है तो इस पर दन्त कालेजों मे रैगिंग की बुराई पर रोक लगाने वाले डीसीआई विनियम, 2009 के खंड 11.4 के अनुसार निम्नलिखित दंड के किसी एक या एक से अधिक किसी भी संयोजन को लागू करेगा:

11.4.1 दंत्य चिकित्सा अधिनियम, 1948 के खंड 16ए के अधीन संस्थान के विरुद्ध मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई शुरू करना।
11.4.2 संस्थान की दाखिला क्षमता में उतनी कमी करना जितना परिषद उचित समझे।
11.4.3 अगले आदेश होने तक संस्थान में और आगे दाखिले बंद करना।
11.4.4 यूजी/पीजी दंत्य पाठ्यक्रमों के संबंध में अनुमति का नवीकरण बंद करना।
11.4.5 संबंधित संस्थान पर इस तरह लगाए गए दंडों से संबंधित सूचना सभी संबंधितों की जानकारी के लिए डीसीआई के वेबसाइट पर प्रस्तुत करना।

4. उपर्युक्त के अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्येक दंत संस्थान में रैगिंग की बुराई पर रोक लगाने वाले डीसीआई विनियम के **<u>खंड 12.2 के अनुसार पिछले शैक्षणिक सत्र के संबंध में</u>** अपेक्षित जानकारी (निर्धारित प्रारूप में, संलग्नक-II) अपनी रिपोर्ट सचिव, भारतीय दंत परिषद, ऐवान-ए-ग़ालिब मार्ग, कोटला रोड, नई दिल्ली -110002 को, **<u>प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल, तक प्रस्तुत करें</u>** अन्यथा ऐसे दोषी संस्थानो के विरुध विनियम की धारा 11.4 के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

5. सभी दंत संस्थानों को शैक्षिक वर्ष के आरंभ होने के साथ-साथ सत्र के दौरान भी साइनबोर्ड, पुस्तिका आदि के माध्यम से रैगिंग रोकने के लिए विज्ञापन देना चाहिए। आपसे अनुरोध किया जाता है कि अपने संस्थान के सभी छात्रों को पुस्तिकाएं जारी करें, जिसमें विवरण हो कि रैगिंग क्या है, रैगिंग की दंडनीय गतिविधिया, रैगिंग करने पर दंड व जुर्माना और रैगिंग विरोधी दस्ते के सदस्यों (एंटी रैगिंग कमेटी और एंटी रैगिंग हैल्पलाइन), पुरुष व महिला होस्टल वार्डन्स / डिप्टी वार्डन्स आदि के नाम और मोबाइल नंबर।

कृ०पृ०उ०

6. सभी दंत संस्थान अपने किसी भी संकाय सदस्य (सदस्यो) को नये और वरिष्ठ छात्रों के लिए "सलाहकार" के रूप में नामित करे, जो दिन-प्रतिदिन की समस्याओं के बारे में नियमित रूप से विद्यार्थियों (कौन्सेलीस) के दल को समन्वयित करने तथा रैगिंग की बुराई को रोकने में उनकी भूमिका को संवेदनशील बनाने के लिए निर्दिष्ट करते रहे।

7. आपसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि आप ऑनलाइन के माध्यम (www.antiragging.in / www.amanmovement.org) से बीडीएस / एमडीएस / पीजी डिप्लोमा / पैरा डेंटल पाठ्यक्रम या डीसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य पाठ्यक्रम में पढ़ाई करने वाले सभी छात्रों (प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष) और उनके माता-पिता / अभिभावको से रैगिंग विरोधी होने का वचन-पत्र प्राप्त करे।

8. उपरोक्त के मद्देनजर, मुझे आपसे अनुरोध करने के लिए निदेश दिया गया है कि आप पिछले **शैक्षणिक-सत्र 2017-2018** के लिए आवश्यक जानकारी, जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त मॉनिटरिंग कमेटी को भेजा जाना आवश्यक है, कृपया सकारात्मक रूप से, निर्धारित प्रारूप में (संलग्नक-II, जो आपकी संस्था के पास पहले से ही उपलब्ध है) **30.04.2018** तक हमें भेजी जाए। यदि सूचना **30.04.2018** तक प्राप्त नहीं हुई तो उस दोषी संस्थान का नाम उचित व उपयुक्त कार्यवाही के लिए मॉनिटरिंग कमेटी को भेजा जाएगा और उनके नाम भी डीसीआई वेबसाइट पर अपलोड कर दिये जाएंगे।

9. कृपया इस पत्र को **अति आवश्यक** माना जाए।

10. भारतीय दंत परिषद किसी भी प्रकार की रैगिंग के खिलाफ **शून्य सहिष्णुता** सुनिश्चित करती है।

आपका आभारी

स. साहा

(डॉ० सब्यसाची साहा)
सचिव
भारतीय दंत परिषद

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

१. सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग - डी०ई० अनुभाग), निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली - 110 011
२. श्री राजेंद्र प्रसाद तिवारी, अवर सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (उच्च शिक्षा विभाग), 515ब, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110115
३. डॉ पंकज मित्तल, अतिरिक्त सचिव, यू०जी०सी०, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110 002
४. डॉ अर्चना ठाकुर, संयुक्त सचिव, यू०जी०सी०, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110 002
५. प्रो० एस० के० कठारीया, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, डेंटल सर्जरी, एस० एन० मेडिकल कॉलेज, आगरा (उ०प्र०)।
६. अध्यक्ष, भारतीय दंत परिषद, नई दिल्ली।

(डॉ० सब्यसाची साहा)
सचिव
भारतीय दंत परिषद